

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी खेमा विपक्षी रामलाल
 स्म मुकदमा 212 RTI पत्रावली संख्या 42/23 (21.44) सन 2023

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
------	-----------------	---

30/01/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप व.एस.टी.आई.
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः 25/03/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 25/03/25
 को पेश हो।

M
 (SDO) मावली

25/03/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप व.एस.टी.आई.
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः 25/03/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 17/07/25
 को पेश हो।

M
 (SDO) मावली

17/7/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप व.एस.टी.आई.
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः 25/03/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 19/8/25
 को पेश हो।

M
 (SDO) मावली

19/8/25 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप व.एस.टी.आई.
 के लिये मौक़ा चाहते है। अतः 25/03/25
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 19/8/25
 को पेश हो।

M
 (SDO) मावली



23/9/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता आठ तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अरुम हाजरी अरुम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय सुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) सावली